# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

ाग्रपत्र संख्या–61/2023
ाग्रपत्र प्रविष्टि दिनांक–14.09.2023
नेर्णय दिनांक–01.01.2025

शिवराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
## अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट

### निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की भूमि आराजी ख0न0 107, 150, 21, 388, 87 कुल किता 05 कुल रकबा 3.0095 हैक्ट. व ख0न0 321 रकबा 2.1244 हैक्ट. व ख0न0 102, 103, 104, 105 कुल किता 04 कुल रकबा 1.8968 हैक्ट. वाके ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.) में स्थित है। जिसमें प्राथी का हिस्सा क्रमशः 1/8, 1/32, 1/16 हिस्सा दर्ज है। जिसका प्रार्थी बहैसियत मालिक, स्वामी, खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम श्योराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा सा.देह अंकित हो रखा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम शिवराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा है। प्रार्थी के पिता का काफी वर्षो पूर्व स्वर्गवास हो चुका है तथा उस समय पिता की विरासत का नामान्तकरण भरवाते समय प्रार्थी के घर पर पुकारे जाने वाले नाम श्योराज को ही दर्ज करवा दिया गया। जबकि प्रार्थी के शैक्षणिक अंक तालिका, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेजात् में प्रार्थी का नाम शिवराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा सही रूप से अंकित हो रखा है। लेकिन उक्त ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली में प्रार्थी का नाम गलत रूप से श्योराज पुत्र गंगाराम दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती करवाया जाकर श्योराज पुत्र गंगाराम के स्थान पर सही नाम शिवराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा दर्ज करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त त्रुटी संहवनीय एवं लिपिकीय भूल के कारण हुई है। जिसको सही किया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली में अंकित भूमि आराजी ख0न0 107, 150, 21, 388, 87 कुल किता 05 कुल रकबा 3.0095 हैक्ट. में स्थित भूमि में प्रार्थी के नाम गलत रूप से श्योराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती करवाया जाकर सही नाम शिवराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा अंकित करवाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की जमाबंदी ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली के खाता संख्या 56, 57, 58 मे प्रार्थी का हिस्सा क्रमशः 1/8, 1/32, 1/16 दर्ज है। जिस पर प्रार्थी बहैसियत काबिज काश्तकार है। प्रार्थी का सही नाम शिवराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड मे श्योराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड मे विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम श्योराज दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के अंकतालिका, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र मे प्रार्थी का नाम शिवराज दर्ज है। श्योराज व शिवराज दोनो एक ही व्यक्ति है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र मे अंकित तथ्यो का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 107, 150, 21, 388, 87 कुल किता 05 कुल रकबा 3.0095 हैक्ट. व ख0न0 321 रकबा 2.1244 हैक्ट. व ख0न0 102, 103, 104, 105 कुल किता 04 कुल रकबा 1.8968 हैक्ट. वाके ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.) में स्थित है। जिसमें प्राथी का हिस्सा क्रमशः 1/8, 1/32, 1/16 हिस्सा दर्ज है। जिसका प्रार्थी बहैसियत मालिक, स्वामी, खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम श्योराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा सा.देह अंकित हो रखा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम शिवराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा है। प्रार्थी के पिता का काफी वर्षों पूर्व स्वर्गवास हो चुका है तथा उस समय पिता की विरासत का नामान्तकरण भरवाते समय प्रार्थी के घर पर पुकारे जाने वाले नाम श्योराज को ही दर्ज करवा दिया गया। जबकि प्रार्थी के शैक्षणिक अंक तालिका, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेजात् मे प्रार्थी का नाम शिवराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा सही रूप से अंकित हो रखा है। लेकिन उक्त ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली में प्रार्थी का नाम गलत रूप से श्योराज पुत्र गंगाराम दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती करवाया जाकर श्योराज पुत्र गंगाराम के स्थान पर सही नाम शिवराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा दर्ज करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त त्रुटी संहवनीय एवं लिपिकीय भूल के कारण हुई है। जिसको सही किया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली में अंकित भूमि आराजी ख0न0 107, 150, 21, 388, 87 कुल किता 05 कुल रकबा 3.0095 हैक्ट. में स्थित भूमि में प्रार्थी के नाम गलत रूप से श्योराज पुत्र गंगाराम जाति रवा दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती करवाया जाकर सही नाम शिवराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा अंकित रवाया जावे।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली के खाता संख्या 56, 57, 58 मे र्थी का हिस्सा क्रमशः 1/8, 1/32, 1/16 दर्ज है। जिस पर प्रार्थी बहैसियत काबिज काश्तकार है। प्रार्थी का ही नाम शिवराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में श्योराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा दर्ज । राजस्व रिकॉर्ड में विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम श्योराज दर्ज कर दिया गया।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

जबकि प्रार्थी के अंकतालिका, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम शिवराज दर्ज है, जबकि शिवराज व श्योराज एक ही व्यक्ति है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड व तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं की प्रार्थी का शुद्ध नाम शिवराज बैरवा पुत्र गंगाराम जाति बैरवा है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 107, 150, 21, 388, 87 कुल कित्ता 05 कुल रकबा 3.0095 हैक्ट. व ख0न0 321 रकबा 2.1244 हैक्ट. व ख0न0 102, 103, 104, 105 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 1.8968 हैक्ट. वाके ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम **्योराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा** दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण नाम **श्योराज पुत्र गंगाराम जाति बैरवा** के स्थान पर **शिवराज पुत्र गंगाराम जाति** **रवा** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 01.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर ुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल ो।

(अ[illegible] कुमारी खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू,
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner